हुक्म की तामील में जारी हुए

9-5-17 पत्रावली पेश हुई/वकील ~~वादी/प्रतिवादी/ ओब्जेक्टर/रिस्पोंडेन्ट/पार्टी/प्रार्थी/~~उभयपक्ष उपस्थित है/~~अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~दौरा पर है/अवकाश पर है/~~अन्य कार्यों में व्यस्त है/~~का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 20-6-17 को पेश हो।

रीडर

1731-35

25-5-17 पत्रावली आज ~~आम~~ राजस्व लोक अदालत ~~कैम्प~~ उमरी पर पेश हुई। वादीगण रामस्वरूप, पूनी उप० है। प्रतिवादीगण नं० 1, 2, 3 बावजूद सूचना उपस्थित नहीं है। वादीगण ने राजीनामा इस आशय का पेश किया है कि उन्हें मौके पर जाकर सीमाज्ञान करवा दिया जावे। यदि सीमाज्ञान सही हो जाता है तो हम ~~क~~ उस पर पत्थरगढ़ी करवा लेंगे। सीमाज्ञान सही नहीं होने की स्थिति में हमारा यह दावा पूर्ववत जारी रखा जावे। इसी अनुसार हमारा दावा निर्णित कर दिया जावे।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत इस राजीनामा का अवलोकन किया गया। वादीगण को सुना गया। भूमि खसरा नं० $\frac{972}{1130}$ रकबा 0.61 ग्राम उनमरी का मौके पर जाकर वादीगण को सीमाज्ञान कराने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारियों की टीम गठित कर सीमाज्ञान कराने का आदेश तहसीलदार गंगापुर सिटी को दिया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी यह सीमाज्ञान तीन माह में आवश्यक रूप से करवा कर रिपोर्ट भिजवायें। सीमाज्ञान नहीं हो पाने की स्थिति में वादीगण का यह दावा उनके आवेदन पत्र पर पुनः नम्बर पर लिया जाकर पुनः कार्यवाही की जावेगी। इसी अनुसार वादीगण को वाद वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

रामस्वरूप

नि. पूनी

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
सदस्य
लोक अदालत

(बाबूलाल जाट)
अध्यक्ष
लोक अदालत
गंगापुर सिटी
एवं
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

नम्बर
अहकाम
हुक्म
में

# मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

## न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) उमरी

पीठासीन अधिकारी–: बाबूलाल जाट, आर.ए.एस.

उनवान

रामस्वरूप पुत्र पांच्या गुर्जर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी

पूनी पत्नी रामस्वरूप गुर्जर निवासी उमरी तह0 गंगापुर सिटी ——वादीगण

बनाम

किशनलाल पुत्र दूल्लाराम बैरवा निवासी सरकारी अस्पताल के पीछे, गंगापुर सिटी

गुरमुखसिंह पुत्र प्यारसिंह, पंजाबी (सिक्ख) निवासी नसियॉ कालोनी गंगापुर सिटी

बलविन्दरसिंह पुत्र प्यारसिंह, पंजाबी (सिक्ख) निवासी नसियॉ कालोनी गंगापुर सिटी

——प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 60/2016

वादी की ओर से वादी रामस्वरूप, पूनी की व प्रतिवादी की ओर से कोई नही की उपस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 25.5.2017 को बाबूलाल जाट (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में पत्रावली प्रस्तुत होने पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार तहसीलदार गंगापुर सिटी को आदेशित किया जाता है कि वे भू अभिलेख निरीक्षक व दो पटवारियों की एक टीम का गठन करे, उक्त टीम भूमि ख0न0 972/1130 रकबा 0.61 हेक्टर, ग्राम उमरी की मौके पर नाप कर तीन माह मे पक्षकारो को भूमि का सीमाज्ञान करा देवे। सीमाज्ञान नही होने की स्थिति में वादीगण को उनका यह दावा पुनः नम्बर पर लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। पालना रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवावे। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 25.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी (सवाई माधोपुर)

बाबूलाल जाट
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| वादपत्र के लिए स्टाम्प<br>शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>________ रूपये पर प्लीडर की फीस<br>साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>कमिश्नर की फीस<br>आदेशिका की तामील | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प<br>अर्जी के लिए स्टाम्प<br>प्लीडर की फीस<br>साक्षियो के लिए निर्वाह व्यय<br>आदेशिका की तामील<br>कमिश्नर की फीस | |
| जोड | | जोड | |

प्रपत्र-4

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :– ऊमरी

**राजीनामा प्रपत्र**

[illegible] पीठासीन अधिकारी महोदय, दिनांक 25-5-2017
गंगापुर सिटी

रामस्वरूप वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा

[illegible] संख्या :– 60/2016 अन्तर्गत धारा 188 R.T.A.

[illegible] प्रकरण में प्रार्थी/वादी श्री रामस्वरूप, पूनी [illegible] है कि उक्त उन्वान का प्रकरण आपके न्यायालय में लम्बित है। उक्त प्रकरण में हम पक्षकारों के बीच सुलह हो [illegible] अब हमारे बीच कोई विवाद नहीं रहा है। हम पक्षकारों के बीच सम्बन्ध अच्छे हो चुके हैं।
[illegible] आपसी राजीनामा निम्नानुसार तय हुआ है :–

[illegible] की भूमि ख०नं० 972/1130 रकबा 0.61 है० ग्राम ऊमरी का हमें मौके पर [illegible] करवा दिया जावे। सीमाज्ञान यदि सही हो जाता है तो हम उस पर पत्थरगढ़ी [illegible]। यदि सीमाज्ञान सही नहीं हो पाता है तो हमारा यह दावा पुनः चालू रखा [illegible] अनुसार इसका आज निर्णय कर दिया जावे। वादीगण के इस राजीनामा पर [illegible] 972/1130 रकबा 0.61 ग्राम ऊमरी का मौके पर जाकर सीमाज्ञान वादीगण को कराने हेतु [illegible] पटवारियों की एक टीम गठित कर सीमाज्ञान कराने का आदेश तहसीलदार गंगापुर को [illegible] माह की अवधि में इसका आवश्यक रूप से सीमाज्ञान करवा दिया जावे। यदि इस [illegible] सीमाज्ञान नहीं हो पाता है तो वादीगण का यह दावा पुनः आज की स्टेज पर [illegible] ले लिया जावेगा। [illegible] वादीगण को दावा वापस लेने की अनुमति दी जाती है।

[illegible] से निवेदन है, कि हमारा राजीनामा तस्दीक कर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करें।

| वादी पक्ष | प्रतिवादी पक्ष |
|---|---|
| 1. रामस्वरूप | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. कि. पूनी | 4. |

घणावदि

[illegible] के हस्ताक्षर **सरपंच** पहचानकर्ता के हस्ताक्षर
[illegible] नाम **ग्राम पंचायत ऊमरी** (प्रतिवादी पक्ष) नाम
**पं०स० गंगापुर सिटी (स०मा०)**

[illegible] वादी रामस्वरूप, पूनी एवं अप्रार्थी/प्रतिवादी X
[illegible] द्वारा सम्मिलित रूप से राजीनामा पेश किया गया है। राजीनामें की इबारत को सुन व समझ कर सही होना [illegible] अतः राजीनामा हस्बख्वाहिश पक्षकार तस्दीक किया जाता है। राजीनामा शामिल मिसल रहे।

[illegible] (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य) (ह० सदस्य)

(रवि कुमार शर्मा)
एडवोकेट
**सदस्य**
**लोक अदालत**
**गंगापुर सिटी**

(बाबूलाल आर्य)
पीठासीन अधिकारी
**अध्यक्ष**
**लोक अदालत**
**गंगापुर सिटी**
एवं
**उप जिला कलेक्टर**
**गंगापुर सिटी**

प्रपत्र–1

सादर
25-5-2017
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय उप खंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)

## आवेदन पत्र

कैम्प कोर्ट का स्थान ......ऊमरी......

नम्बर मुकदमा......60/2016......

उनवान मुकदमा......रामस्वरूप वगैरा......

बनाम

किशनलाल वगैरा

विषय : लोक अदालत की भावना से प्रकरण मे राजीनामा करने हेतु।

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि प्रार्थी उक्त प्रकरण में वादी/प्रार्थी/अपीलार्थी/ प्रतिवादी/प्रत्यर्थी/रेस्पोडेन्ट है तथा उक्त प्रकरण में लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनामा/समझौता करना चाहता है।

अतः कृपया उक्त प्रकरण अनुसारतः निस्तारित करने की कृपा करे।

प्रार्थी

रामस्वरूप

नि० पुत्री

स्थान......ऊमरी......

दिनांक......25-5-2017......

## कार्यालय उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

क्रमांक राजस्व/2017/100 दिनांकः– 25/5/17

तहसीलदार
गंगापुर सिटी

विषयः मुकदमा नम्बर 60/2016, दावा

उनवान रामस्वरूप वगैरा बनाम किशनलाल वगैरा, तारीख निर्णय 25.5.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत उपरोक्त उनवानी प्रकरण मे डिक्री दिनांक 25.5.17 की प्रति भिजवायी जा रही है। डिक्री के अनुसार पालना की जाकर पालना रिपोर्ट मे इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

संलग्नः डिक्री की सत्यप्रति।

(बाबूलाल जाट)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

25/5/17